लोक सभा सचिवालय

शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (ईएफ) 2014/आईबी-11

दिसम्बर, 2014

कर सुधार : वस्तु और सेवा कर लगाने का प्रस्ताव

प्रस्तावना

राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 संबंधी केलकर कार्यबल ने यह विचार व्यक्त किया था कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाली वर्तमान कर प्रणाली अनेक समस्याओं से ग्रसित है, अत: उन्होंने एक व्यापक वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का सुझाव दिया। प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली का उद्देश्य एक सरल, पारदर्शी और प्रभावी अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली लाना है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं पर एकीकृत ढंग से कर लगाया जा सके क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं में सुस्पष्ट भेद न होने के कारण वस्तुओं और सेवाओं पर पृथक कराधान स्वीकार्य नहीं है। चूंकि कर सुधार की दिशा में जीएसटी एक प्रगतिशील कदम है, अत: उभरते हुए आर्थिक वातावरण में वर्तमान कर ढांचा जिसमें कई तरह के केन्द्रीय और राज्य कर विद्यमान हैं, के स्थान पर जीएसटी प्रणाली लाना अनिवार्य है।

वस्तुओं के उत्पादन और वितरण और प्रतिक्रम में सेवाओं का उपयोग या खपत बढ़ता जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं पर पृथक कराधान के लिए अक्सर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में से संव्यवहार मूल्य अलग करने पड़ते हैं जिसके कारण कर प्रशासन में जटिलताएं आ जाती हैं और कर अनुपालन के मूल्य में भी वृद्धि होती है। चूंकि जीएसटी स्थान आधारित उपभोग कर है जो मूल्य वर्धित कर के सिद्धांत[1] पर आधारित है, यह न केवल वर्तमान जटिल कर ढांचे से उत्पन्न आर्थिक विषमताओं को दूर करने में सहायक है बल्कि एक साझे राष्ट्रीय बाजार के विकास में भी सहायक है।

एक बार वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के आरंभ होने पर इसे पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण, बिक्री और उपभोग पर व्यापक रूप से लगाया जा सकेगा। यह कर वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान के प्रत्येक स्तर पर लगाया जायेगा जिसके अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान के समय विक्रेता या सेवा प्रदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट[2] का दावा कर सकता है जिसे उसने वस्तुएं खरीदने या सेवाएं जुटाने के लिए अदा किया है। अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर एक जैसी रहती है किंतु यदि देश में ऐसी आवश्यकता हो तो कुछ वस्तुओं और सेवाओं को कर से छूट दी जा सकती है या जीरो रेटिड घोषित किया जा सकता है।

जीएसटी संबंधी प्रस्ताव : एक संक्षिप्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय संदर्भ में जीएसटी पर आरंभिक चर्चाएं वर्ष 2000 में श्री असीम दासगुप्ता के नेतृत्व में अधिकारिता प्राप्त समिति के तत्वावधान में आरंभ हुईं। बाद में, डॉ. विजय एल. केलकर के नेतृत्व में गठित राज वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन संबंधी कार्यबल ने अखिल भारतीय वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का सुझाव दिया जिसके माध्यम से साझा बाजार विकसित करने, कराधार का विस्तार करने, घरेलू अप्रत्यक्ष करों की राजस्व उत्पादकता में सुधार लाने तथा संसाधनों के कुशल आबंटन के माध्यम से कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय स्तर के वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में प्रस्तुत किया गया था। चूंकि प्रस्ताव में न केवल केन्द्र बल्कि राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों में सुधार/पुनर्निर्धारण सम्मिलित था, अत: जीएसटी का डिजाइन तैयार करने तथा इसके कार्यान्वयन हेतु रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को सौंपी गई। अप्रैल, 2008 में ईसी ने अपनी रिपोर्ट "ए मॉडल एंड रोडमैप फॉर गुड्स एंड सर्विसिस टैक्स (जीएसटी) इन इंडिया" प्रस्तुत की जिसमें जीएसटी के ढांचे और डिजाइन के संबंध में विस्तृत सिफारिशें दी गई थीं। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा मिली जानकारी के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति ने 10 नवम्बर, 2009 को वस्तु और सेवा कर के संबंध में पहला चर्चा पत्र जारी किया।

---

[1] वैट अर्थात् मूल्य वर्धित कर बहुस्तरीय कर है जो मूल्य वर्धित शृंखला के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है जिसमें पहले स्तर पर अदा किए गए कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को स्वीकृति देने का प्रावधान रहता है जिसे बाद में हुई बिक्री पर लगाई गई वैट लाइबिलिटी के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

[2] इनपुट टैक्स क्रेडिट विनिर्माता/डीलर द्वारा खरीद पर अदा की गई कर राशि है जिसके लिए डीलर खरीदी हुई मद/उत्पाद के बढ़े हुए मूल्य के लिए बिक्री के दौरान क्रेडिट का दावा करने का अधिकारी है। वह उस कर अवधि में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का अधिकारी है जिसमें डीलर कर बीजक का रिकॉर्ड रखता है और इसे इस अवधि के दौरान हुई पूरी बिक्री पर लगने वाली विनिर्माता/डीलर की टैक्स लाइबिलिटी के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

जीएसटी संबंधी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों का एक संयुक्त कार्य दल गठित किया गया। इसे आगे तीन और उप कार्य दलों में विभाजित किया गया ताकि वे जीएसटी को आरंभ करने के लिए अनिवार्य प्रारूप विधानों, जीएसटी के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया/प्रकार और प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली के सुचारु कार्यकरण हेतु आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के विकास हेतु अलग-अलग कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त वस्तु और सेवा कर के लिए अनिवार्य सूचना प्रौद्योगिकी के विकास हेतु डॉ. नंदन नीलकेणी की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त दल भी गठित किया गया।

भारत में जीएसटी लागू करने का औचित्य

भारत सरकार की पूर्व-विद्यमान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रणाली तथा राज्य सरकारों की बिक्री कर प्रणाली में "कर पर कर" भार की समस्या थी। केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर (सेनवैट) को आरंभ करने से "कर पर कर" भार को काफी हद तक दूर किया जा सका क्योंकि इसके अंतर्गत उत्पादन के स्तर पर इनपुट और सेवाओं पर अदा किए गए कर के लिए "सेट ऑफ" तंत्र आरंभ किया गया और इस प्रकार पूर्व-विद्यमान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व्यवस्था में सुधार आने लगा। इसी प्रकार, राज्यों में इस भार को वैट आरंभ करके इनपुट पर अदा किए गए कर के साथ-साथ पिछली खरीदों पर अदा किए गए कर पर "सेट ऑफ" तंत्र का प्रावधान करके दूर किया गया जिससे पिछली बिक्री कर व्यवस्था में सुधार आया।

किंतु सेनवैट और राज्य वैट दोनों ही कुछ अधूरे से हैं। सेनवैट इस तरह से अधूरा है कि उत्पादन से निचली डिस्ट्रिब्यूटिव कारोबार की अवस्था में वैल्यू एडीशन की चेन को सम्मिलित करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसमें अनेक केन्द्रीय करों जैसे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क, प्रभार आदि को भी सेनवैट के संपूर्ण ढांचे में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके कारण व्यापक इनपुट टैक्स और सेवा कर सेट-ऑफ आदि के लाभों से विनिर्माताओं/डीलरों को वंचित रखा गया है। जीएसटी के लागू होने से इसमें न केवल व्यापक रूप से और अधिक अप्रत्यक्ष केन्द्रीय करों और एकीकृत वस्तु एवं सेवा करों को सेट-ऑफ राहत के लिए सम्मिलित किया जाएगा बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव करोबार में कुछ वैल्यू एडीशन भी किया जा सकेगा।

इसी प्रकार, राज्य स्तर की वर्तमान वैट योजना में, वस्तुओं पर लगाए जाने वाले सेनवैट के भार को भी दूर नहीं किया गया है और अभी तक कर भार के उस हिस्से से होने वाले क्रमिक प्रभाव से राहत नहीं पहुंचाई गई है। इसके अतिरिक्त राज्यों में भी ऐसे बहुत से कर हैं जैसे विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि जिन्हें अभी तक राज्य स्तर के वैट में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके अलावा राज्य स्तर पर वस्तुओं पर लगाए जाने वाले वैट और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर का न तो एकीकरण किया गया है और न ही सेवा कर के क्रमिक प्रभावों को दूर किया गया है। इसके अतिरिक्त यद्यपि वस्तुओं के अन्तर-राज्यीय आवागमन पर केन्द्रीय बिक्री कर के भार को कम किया गया है किंतु इस भार को पूरी तरह से हटाया नहीं गया है। राज्य स्तर पर जीएसटी लागू करने से सेनवैट और सेवा कर का अतिरिक्त भार व्यापक रूप से हट जाएगा और मूल उत्पादक और सेवा प्रदाता के बिंदु से खुदरा विक्रेता के स्तर तक सेट-ऑफ की एक निरंतर कड़ी बनती जाएगी जो सेनवैट और सेवा कर के भार सहित सभी क्रमिक प्रभावों को दूर करेगी।

इस प्रकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मात्र मूल्य वर्धित कर (वैट) और सेवा कर ही नहीं है अपितु यह पूर्ववर्ती वैट प्रणाली और असम्बद्ध सेवा कर में काफी सुधार को भी दर्शाता है और इसलिए यह एक न्यायोचित अग्रगामी कदम है।

जीएसटी का प्रस्तावित मॉडल

देश के संघीय ढांचे के अनुरूप जीएसटी के दो संघटक होंगे–एक केन्द्र द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसे केन्द्रीय जीएसटी अथवा सीजीएसटी कहा गया है और दूसरा राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसे राज्य जीएसटी अथवा एसजीएसटी कहा गया है। इस दोहरे जीएसटी मॉडल को बहुविध संविधियों–एक सीजीएसटी के लिए और दूसरे संबंधित राज्यों में एसजीएसटी के लिए–के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। तथापि, जहां तक व्यावहारिक होगा इन संविधियों में कानून की मूल विशेषताएं यथा–परिवर्तनीयता, कर योग्य घटना और कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा, मूल्यांकन संबंधी उपबंध हैं, वर्गीकरण का आधार आदि सहित कर लगाने के उपाय एकसमान होंगे। प्रस्तावित जीएसटी की मुख्य विशेषताएं बॉक्स-1 में दी गई हैं–

बॉक्स-1

प्रस्तावित जीएसटी की मुख्य विशेषताएं

- केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी, छूट प्राप्त माल और सेवाओं, माल जो जीएसटी के दायरे से बाहर का है और संव्यवहार जो निर्धारित निम्न सीमा से नीचे का है, को छोड़कर माल और सेवाओं के सभी संव्यवहारों पर लागू होगा।
- केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी का भुगतान केन्द्र और राज्यों के अलग-अलग खातों में किया जाएगा।
- चूंकि सामान्य तौर पर केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी को अलग-अलग माना जाएगा इसलिए केन्द्रीय जीएसटी के प्रति प्रदत्त करों को केन्द्रीय जीएसटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में लिए जाने की अनुमति होगी और उसका उपयोग केवल केन्द्रीय जीएसटी के भुगतान हेतु ही किया जा सकेगा। राज्य जीएसटी के लिए भी यही नियम लागू होगा।
- सामान्य तौर पर केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रतिउपयोग की अनुमति नहीं होगी।

- जहां तक व्यवहार्य हो, केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी दोनों, की वसूली की एकसमान पद्धति को उनके संबंधित विधानों में स्पष्ट किया जाएगा।
- केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी का प्रशासन क्रमशः केन्द्र और संबंधित राज्यों के पास होगा।
- करदाता को अपनी आवधिक कर-विवरणी केन्द्रीय जीएसटी प्राधिकारी और संबंधित राज्य जीएसटी प्राधिकारियों को जमा कराने की आवश्यकता होगी।
- प्रत्येक करदाता को एक पैन से संबद्ध करदाता पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। इससे आयकर सुविधा द्वारा विनिमय और करदाता के अनुपालन हेतु जीएसटी पैन संबद्ध प्रणाली को वर्तमान पैन आधारित प्रणाली के अनुरूप लाया जा सकेगा। इसका सटीक डिजाइन आयकर विभाग के परामर्श से तैयार किया जाएगा।
- करदाताओं की सुविधा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कर-निर्धारण, प्रवर्तन, संवीक्षा और लेखापरीक्षा जैसे कार्य कर वसूली प्राधिकारी द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच सूचना को साझा करके किए जायेंगे।

जीएसटी संबंधी कानून बनाने हेतु किए गए पूर्व प्रयासः संविधान संशोधन विधेयक, 2011

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति के प्रत्येक संव्यवहार पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने हेतु कानून बनाने के लिए संसद, राज्य विधानमंडलों सहित विधानमंडल वाले प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्रों को एक साथ शक्तियां प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करना अपरिहार्य हो गया है क्योंकि भारत का संविधान संघ और राज्यों को कोई सहवर्ती कराधान शक्तियां प्रदान नहीं करता है। इसके परिप्रेक्ष्य में 22 मार्च, 2011 को लोक सभा में संविधान (एक सौ पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011 पुरःस्थापित किया गया। विधेयक को विभागों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया जिसने 07 अगस्त, 2013 को सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जहां तक विधेयक की स्थिति का संबंध है पन्द्रहवीं लोक सभा के विघटन के साथ विधेयक व्यपगत हो गया। तथापि, निकट भविष्य में विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है। संविधान (एक सौ पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011 की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे बॉक्स-2 में दी गई हैं:–

बॉक्स-2

संविधान (एक सौ पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011 की मुख्य विशेषताएं

- यह विधेयक जीएसटी को वस्तु अथवा सेवाओं की आपूर्ति के ऊपर किसी कर के रूप में परिभाषित करता है।
- यह विधेयक संघ सूची एवं राज्य सूची और साथ ही अनुच्छेद 268ए में शामिल कई करों को हटा देता है, जो सेवाओं पर कर वसूली का प्रावधान रखते हैं। इस विधेयक के तहत ये कर जीएसटी द्वारा शामिल किए जायेंगे।
- इसके अतिरिक्त, यह विधेयक जीएसटी के संबंध में कानूनों को बनाने के लिए संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को अनुमति देता है। समवर्ती सूची की मदों के विपरीत, जीएसटी पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से उल्लंघन नहीं होगा।
- आयात एवं अंतरराज्यीय व्यापार के ऊपर कर केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किए जायेंगे। केन्द्र एवं राज्यों के बीच इन करों का वितरण संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- निम्नलिखित वस्तुएं जीएसटी के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं: (क) कच्चा पेट्रोलियम, (ख) उच्च गति डीजल, (ग) पेट्रोल, (घ) प्राकृतिक गैस, (ङ) विमानन टर्बाइन ईंधन, एवं (च) मानव उपभोग के लिए शराब। आयातों एवं अंतरराज्यीय व्यापार के मामले को छोड़कर, राज्यों के पास इन मदों के ऊपर कर वसूली का अधिकार रहेगा। इन वस्तुओं के विपरीत, तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पाद को जीएसटी से छूट प्राप्त नहीं है। हालांकि, केन्द्रीय सरकार इनके ऊपर उत्पाद शुल्क तब भी लगा सकती है।
- राज्य विधानमंडल के पास पंचायतों अथवा नगरपालिकाओं द्वारा एकत्रित सीमा तक कुछ करों को उगाहने का अधिकार रहेगा। इनमें चुंगी, आतिथ्य कर एवं मनोरंजन कर शामिल हैं।
- संघ सूची में उल्लिखित स्टाम्प शुल्क केन्द्र द्वारा लगाए जायेंगे एवं राज्यों द्वारा एकत्रित किए जायेंगे।

- यह विधेयक संसद को एक जीएसटी विवाद निपटान प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। यह प्राधिकरण किसी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा भेजे गए विवादों का निपटारा करेगा। इस प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- इस विधेयक के अधिनियमित होने के 60 दिनों के भीतर एक जीएसटी काउंसिल की स्थापना की जाएगी। यह जीएसटी काउंसिल निम्न विषयों पर केन्द्र एवं राज्यों को सुझाव देगी: (क) वे कर जिन्हें शामिल किया जा सकता है, (ख) माल एवं सेवाएं जिन्हें छूट प्राप्त हो सकती है, (ग) जीएसटी के आवेदन के लिए कुल बिक्री की सीमा, (घ) जीएसटी की दरें, और (ङ) अन्य संबंधित मामले।

दोहरे जीएसटी मॉडल का प्रस्ताव करने के कारण

भारत एक संघीय देश है जहां केन्द्र और राज्यों दोनों को समुचित विधान के माध्यम से कर लगाने और संग्रह करने की शक्तियां दी गई हैं। सरकार के दोनों स्तरों की संविधान में निहित शक्तियों के विभाजन के अनुसार कार्य, जिसके लिए उन्हें संसाधन जुटाने की आवश्यकता होती है, करने की अलग-अलग जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए दोहरा जीएसटी, राजकोषीय संभवाद की संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य व्यक्ति/इकाइयां

- इसमें व्यापारिक कार्यकलाप करने वाले सभी प्रकार के व्यक्ति अर्थात् विनिर्माण, जॉब वर्कर्स, व्यापारी, आयातक, निर्यातक, समस्त प्रकार के सेवा प्रदाता इत्यादि शामिल होंगे।
- यदि किसी कम्पनी की चार भिन्न-भिन्न राज्यों में चार शाखाएं हैं तो सभी चारों शाखाओं को संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर योग्य इकाई माना जाएगा।
- सभी डीलरों/व्यावसायिक इकाइयों को समस्त कारबार पर दोनों प्रकार के कर का भुगतान करना पड़ेगा।
- किसी डीलर को सीजीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराना चाहिए क्योंकि इससे वह सीजीएसटी के इनपुट कर क्रेडिट प्राप्त करने का हकदार होगा और जिससे बिजनेस टु बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत क्रेताओं को आकर्षित किया जा सकेगा।
- आयातकों को सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।

जीएसटी के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य करों को सम्मिलित करना

जीएसटी शुरू करने के पीछे एक प्रमुख उद्देश्य राज्य के भीतर और अंतरराज्यीय स्तर पर टैक्स क्रेडिट का मुक्त प्रवाह सुकर बनाना है। इस प्रयोजनार्थ अनेक केन्द्रीय और राज्य करों की, यद्यपि कुछ छूट के साथ, जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित करने के लिए पहचान की जाएगी। इन करों में बॉक्स-3 में दिए गए कर शामिल हैं।

बॉक्स-3
जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किए गए कर

केन्द्रीय कर	राज्य कर
> केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	> मूल्यवर्धित कर/बिक्री कर
> अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	> मनोरंजन कर (जब तक यह स्थानीय निकायों द्वारा न लगाया जाए)
> औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया उत्पाद शुल्क	> विलास कर
> सेवा कर	> लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर
> अतिरिक्त सीमा शुल्क, सामान्यत: प्रतिशुल्क के रूप में जाना जाता है	> वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित होने पर राज्य उपकर और अधिभार
> विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क -4% (एसएडी)	> प्रवेश कर, चुंगी के स्थान पर नहीं
> अधिभार, और	
> उपकर	

कर, जिन्हें जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है

कुछ अन्य अप्रत्यक्ष कर भी हैं जिन्हें प्रस्तावित (जीएसटी) व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यों में और केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई सर्वसम्मति नहीं है। इन करों में शामिल हैं–क्रय कर, स्टांप शुल्क, वाहन कर, विद्युत शुल्क और अन्य प्रवेश कर तथा चुंगी।

जहां तक मादक पेय/वस्तुओं का संबंध है तो इन्हें जीएसटी की परिधि से बाहर रखा जा सकता है। मादक पेय पर वर्तमान परिपाटी के अनुसार ही बिक्री कर/मूल्यवर्धित कर लगाना जारी रह सकता है। यदि कुछ राज्यों द्वारा इस पर वैट लगाया जाता है तो उनके कार्य पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। संभवत: राज्यों द्वारा वर्तमान में लगाए जा रहे उत्पाद शुल्क पर भी कोई प्रभाव न पड़े।

पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति का मत था कि पेट्रोलियम उत्पादों, अर्थात् क्रूड, मोटर स्पिरिट (मानक टर्बाइन ईंधन सहित) और हाई स्पीड डीजल को जीएसटी से बाहर रखा जा सकता है जैसाकि भारत में वर्तमान परिपाटी है। राज्यों द्वारा इन उत्पादों पर वर्तमान आरम्भिक दर से बिक्री कर लगाया जाना जारी रह सकता है। इसी प्रकार, केन्द्र भी अपनी लेवी जारी रख सकता है।

तथापि, केन्द्र का विचार है कि पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखने से लेखापरीक्षा ट्रायल के व्यवधान के कारण राजस्व में कमी आ सकती है। अत: केन्द्र ने राज्यों को प्रस्ताव किया है कि पेट्रोलियम पर करों के वर्तमान ढांचे को अस्थायी तौर पर जारी रहने दिया जाए, भले ही पेट्रोलियम को संवैधानिक तौर पर जीएसटी से बाहर नहीं रखा गया हो। इसका आशय होगा कि यद्यपि पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी की परिधि से बाहर रहेंगे परन्तु राज्य पेट्रोलियम पर बिक्री कर/वैट लगाने और संग्रह करने की शक्तियां अपने पास रखेंगे। ऐसे परिदृश्य में संबंधित दरें जीएसटी परिषद द्वारा समुचित रूप से या जीरो रेट पर निर्धारित की जा सकती हैं।

जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत दर ढांचा

दो-दर ढांचा अपनाने का प्रस्ताव किया गया है-आवश्यक वस्तुओं और बुनियादी महत्व की वस्तुओं के लिए कम दर और सामान्य वस्तुओं के लिए मानक दर। कीमती धातुओं और छूट वाली वस्तुओं की सूची के लिए एक विशेष दर होगी। सेवाओं के कराधान के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के लिए एकल दर हो सकती है। तथापि, सेवाओं के लिए दर सहित एसजीएसटी और सीजीएसटी दरों का सही मूल्य समुचित विधायी कार्यों के दौरान विधिवत रूप से ज्ञात होगा।

निर्यात और आयात पर जीएसटी

निर्यात पर जीएसटी शून्य दर पर होगा। देश में वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाएगा। कर का प्रभाव लक्षित स्थान पर होगा और एसजीएसटी के मामले में कर राजस्व उन राज्यों को जाएगा जहां आयातित वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर भुगतान किए गए जीएसटी पर पूर्णतया सेट-ऑफ उपलब्ध रहेगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में जीएसटी[3]

एसईजेड को कर लाभ दिए जाएंगे। तथापि, उनके प्रसंस्करण क्षेत्रों को ही ऐसे लाभ दिए जाएंगे। एसईजेड से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए)[4] की बिक्री के संबंध में उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

सीजीएसटी और एसजीएसटी को साथ-साथ लगाना

छूट वाली वस्तुओं और सेवाओं, जीएसटी की परिधि के बाहर की वस्तुओं और निर्धारित आरम्भिक सीमा से नीचे के लेन-देन को छोड़कर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी साथ-साथ लगाए जाएंगे। इसके अलावा, दोनों को एक ही कीमत अथवा मूल्य पर लगाया जाएगा जैसाकि राज्य वैट, जोकि सेनवैट सहित वस्तुओं के मूल्य पर लगाया जाता है, में नहीं होता। जहां सीजीएसटी के प्रयोजन हेतु देश में आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के स्थान का कोई महत्व नहीं है, वहां एसजीएसटी केवल तभी प्रभार लगाने योग्य होगा जब आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों किसी राज्य विशेष में अवस्थित हों।

अंतर-राज्यीय लेन-देन और वस्तु और सेवा कर

वस्तु और सेवा कर प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) नामक एक नया कानून लागू किया जाएगा। आईजीएसटी मॉडल की संभावना इस प्रकार है कि केन्द्र आईजीएसटी का उदग्रहण करेगा जिसमें वस्तुओं की खेप अथवा स्टॉक अंतरण और सेवा हेतु समुचित प्रावधान सहित कर योग्य वस्तुओं और सेवाओं के सभी अन्तर-राज्यीय लेन-देन पर सीजीएसटी और एसजीएसटी सम्मिलित होंगे।

अन्तर-राज्यीय विक्रेता अपनी खरीद पर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के मौजूदा क्रेडिट को समायोजित करने के पश्चात् मूल्यवर्धन पर आईजीएसटी का भुगतान करेगा। निर्यातक राज्य आईजीएसटी के भुगतान पर प्रयुक्त एसजीएसटी का क्रेडिट केन्द्र को अंतरित करेंगे। आयातक डीलर अपने राज्य में अपनी उत्पादन कर देयता का भुगतान करते हुए आईजीएसटी के क्रेडिट का दावा पेश करेगा। केन्द्र, आयातक राज्य को एसजीएसटी के भुगतान में इस्तेमाल किए गए आईजीएसटी के क्रेडिट का अंतरण करेगा। केन्द्रीय एजेंसी को संगत जानकारी भी दी जाएगी जो क्लियरिंग हाउस तंत्र के रूप में कार्य करेगी, दावों का

---

[3]विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) किसी देश में नामित क्षेत्र है जहां विशेष आर्थिक विनियम होते हैं जो कि उसी देश में अन्य क्षेत्र से भिन्न होते हैं। इसके अलावा, इन विनियमों का आशय ऐसे उपाय करना है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुकूल हों। एसईजेड में व्यापार करने का अर्थ है कि एक कम्पनी को कर प्रोत्साहन और कम टैरिफ का भुगतान करने का अवसर मिलेगा। भारत में एसईजेड के लिए स्पष्ट कानून है जो 2005 के एसईजेड अधिनियम से प्रेरित है।

[4]घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) भारत के भीतर ऐसा क्षेत्र है जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से बाहर है।

सत्यापन करेगी और संगत सरकारों को निधियों के अंतरण के बारे में सूचना देगी। आईजीएसटी प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं–

- अन्तर-राज्यीय लेन-देन पर निर्बाध आईटीसी शृंखला का रख-रखाव होगा।
- अन्तर-राज्यीय विक्रेता या खरीददार को कर का अग्रिम भुगतान नहीं करना पड़ेगा और निधियां बड़े पैमाने पर अवरुद्ध नहीं होंगी।
- निर्यातक राज्य में वापसी का दावा नहीं किया जाएगा क्योंकि कर का भुगतान करते समय आईटीसी का उपयोग कर लिया जाता है।
- स्व-निगरानी प्रणाली।
- अन्तर-राज्यीय डीलरों के लिए कम्प्यूटरीकरण का स्तर सीमित है और केन्द्र और राज्य सरकारें अपनी प्रक्रियाओं का शीघ्र कम्प्यूटरीकरण कर सकेंगी।
- चूंकि, सभी अन्तर-राज्यीय डीलरों को ई-पंजीकृत किया जाएगा और उनके साथ ई-मेल के माध्यम से पत्र व्यवहार किया जाएगा, इसलिए अनुपालन के स्तर पर पर्याप्त सुधार होगा।
- उक्त मॉडल के अंतर्गत व्यवसाय से व्यवसाय और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन-देन को भी शामिल किया जाएगा।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के अंतर्गत कर बीजक

कर बीजक जीएसटी के अंतर्गत एक मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है और जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत कोई डीलर कर बीजक जारी कर सकता है और इस बीजक के आधार पर इनपुट क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। सामान्यत: एक कर बीजक में आपूर्तिकर्ता डीलर का नाम, उसकी कर पहचान संख्या, पता और कर बीजक संख्याओं के साथ-साथ खरीददार डीलर का नाम और पता, उसकी कर पहचान सं., पता तथा बेची गई वस्तुओं या प्रदान की गई सेवाओं का ब्यौरा शामिल होना चाहिए।

जीएसटी के लाभ

जीएसटी लागू होने से निम्नलिखित लाभ होने की संभावनाएं हैं–

- **स.घ.उ. में वृद्धि:** कार्य बल द्वारा किए गए विस्तृत अध्ययन से यह अनुमान लगाया गया है कि जीएसटी से भारत के स.घ.उ. में 0.9%-1.7% तक की वृद्धि होगी।
- **सोपानी करों में कमी:** जीएसटी के अंतर्गत, कर का भुगतान उत्पाद के मूल्य पर न करके उत्पाद के किसी विशेष स्तर पर मूल्यवर्धन पर किया जाता है, क्योंकि प्रदत्त कर पर ही छूट प्रदान की जाती है। इससे अनुपालन हेतु सहायता मिलेगी क्योंकि शृंखला में प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करता है कि उससे पहले वाले व्यक्ति ने कर का भुगतान कर दिया है।
- **वस्तुओं के मूल्यों में कमी:** करों के सोपानी प्रभाव समाप्त हो जाने के फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्यों में कमी आने की संभावना है।
- **आयात-निर्यात में वृद्धि:** आपूर्ति शृंखला में सभी करों की वापसी/शून्य दर होने के कारण निर्यातोन्मुखी उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। आयात-प्रतिस्थापन उद्योग भी भारतीय वस्तुओं की कीमतें कम होने के कारण अधिक प्रतिस्पर्धी हो जायेंगे।

जीएसटी प्रणाली के दौरान आईटी-अवसंरचना

देश में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के सफल कार्यान्वयन हेतु करों के सोपानी प्रभाव से बचने के लिए क्रेडिट के अंतरण हेतु एक अन्तरनिहित आईटी आधारित समाधान तंत्र काफी महत्वपूर्ण होगा। इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने, उसका प्रसंस्करण करने और करदाताओं, राज्य और केन्द्र सरकारों, बैंकों और भा.रि.बैं. के बीच उसका आदान-प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ आईटी अवसंरचना और सेवा आधार प्रदान करने के लिए एक वस्तु और सेवा कर नेटवर्क-विशेष प्रयोजन कंपनी (जीएसटीएन-एसपीवी) की स्थापना की गई है। जीएसटीएन-एसपीवी को, 49 प्रतिशत सरकारी इक्विटी और गैर-सरकारी संस्थानों की 51% इक्विटी के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में 28 मार्च, 2013 को निगमित किया गया। केन्द्र और राज्यों प्रत्येक की इक्विटी में बराबर अर्थात् 24.5% की हिस्सेदारी है और कंपनी पर उनका सामरिक नियंत्रण है। जीएसटीएन-एसपीवी की 10 करोड़ रुपये की प्राधिकृत इक्विटी हिस्सेदारी पूंजी है। जीएसटीएन-एसपीवी, संघात्मक ढांचे में पहला प्रयोग है।

जीएसटीएन-एसपीवी की संवेदनशील भूमिका और इसके पास मौजूद जानकारी को देखते हुए बोर्ड का गठन, विशेष संकल्प और शेयरधारक समझौता जैसे तंत्र, सरकारी अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्रवेश और जीएसटीएन-एसपीवी तथा सरकारों के बीच समझौता जैसे उपायों के माध्यम से जीएसटीएन-एसपीवी पर सरकार का सामरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेयरधारिता का पैटर्न यह सुनिश्चित करता है कि केन्द्र व्यक्तिगत रूप से और राज्य सामूहिक रूप से प्रत्येक 24.5% शेयरों के साथ सबसे बड़े शेयरधारक होंगे। कुल मिलाकर सरकार की 49% की शेयरधारिता किसी एक निजी संस्थान की शेयरधारिता से काफी अधिक है। जीएसटी के कार्यान्वयन के पश्चात् जीएसटीएन-एसपीवी निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगी:–

(एक) करदाताओं के लिए एकसमान पंजीकरण, विवरणी का दाखिला और ई-भुगतान सेवाएं प्रदान करना;

(दो) केन्द्र/राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों की मौजूदा कर प्रशासन प्रणाली के साथ कॉमन जीएसटी पोर्टल का एकीकरण सुनिश्चित करना;

(तीन) कॉमन जीएसटी पोर्टल के माध्यम से करदाताओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु मानकों की सुविधा प्रदान करना, उनका कार्यान्वयन और निर्धारण करना;

(चार) कर अनुपालन में वृद्धि करने के लिए करदाताओं के साथ सक्षम और सुविधाजनक संपर्क तैयार करना;

(पांच) कर अपवंचना को दूर करने के लिए और कर प्रशासन प्रणाली की पारदर्शिता में वृद्धि करने के लिए कर प्राधिकारियों की सहायता करना;

(छह) अनुसंधान करना, श्रेष्ठ परम्पराओं का अध्ययन करना और हित धारकों को प्रशिक्षण देना; और

(सात) सरकार और अन्य हितधारकों को कोई अन्य संगत सेवा प्रदान करना।

जीएसटी प्रणाली के समक्ष कुछ चुनौतियां

जीएसटी के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं–

संविधान संशोधन: संविधान में केन्द्र और राज्यों द्वारा अलग-अलग कर लगाने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है।

जहां केन्द्र के पास सेवाओं और वस्तुओं पर उत्पादन के स्तर तक कर लगाने का अधिकार है, वहीं राज्यों के पास वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार है। राज्यों के पास सेवाओं की आपूर्ति पर कर लगाने का अधिकार नहीं है जबकि केन्द्र के पास वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, संविधान ने "वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति" पर कर लगाने का अधिकार न तो केन्द्र सरकार और न ही राज्य सरकारों को दिया है। इसके साथ ही, संविधान ने राज्यों को आयातों पर कर लगाने का अधिकार भी नहीं दिया है।

- **केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी कानूनों का प्रारूपण और क्रियान्वयन:** जीएसटी लाने के लिए संविधान संशोधन के पश्चात्, संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के साथ तत्संबंधी केन्द्रीय और राज्य विधानों का प्रारूपण करना आवश्यक होगा। साथ ही साथ, एकीकृत वस्तु और सेवा कर तथा संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं के लिए विधान हेतु प्रारूपण करने की दिशा में भी तत्काल कदम उठाने होंगे।

- **राज्यों और केन्द्र के बीच जीएसटी दरों पर समझौता:** विभिन्न राज्यों के वैट अधिनियमों में निर्धारित मौजूदा न्यूनतम सीमा, जिससे कम पर वैट लागू नहीं है, राज्यों में अलग-अलग है। तथापि, वस्तु और सेवा कर के क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों के लिए एकसमान राज्य जीएसटी वांछनीय होगा। इस प्रकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के एक अंग के रूप में, एक संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए जीएसटी हेतु एक सामंजस्यपूर्ण ढांचे की जरूरत को पूरा करने के लिए एक तंत्र बनाने के लिए विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी।

- **जीएसटी के क्रियान्वयन पर राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान के लिए केन्द्र द्वारा दिए जाने वाला प्रतिकर:** ठीक से यह अनुमान लगाना एक दुरूह कार्य होगा कि राज्यों को सेवा कर से कितना राजस्व प्राप्त होगा और सोपानी प्रभाव के हटाने, इनपुट टैक्स क्रेडिट के भुगतान और केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध तरीके से हटाने के कारण उन्हें कितनी हानि होगी। इसके दृष्टिगत, यह आवश्यक होगा कि जीएसटी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले नुकसान हेतु प्रतिकर के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

- **आईटी संसाधनों का क्रियान्वयन:** जीएसटी के क्रियान्वयन के लिए आईटी बहुत महत्वपूर्ण है और जीएसटी के साथ देश के हर हिस्से में आईटी संसाधनों का समुचित क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती है। राज्य की संरचनात्मक सुविधाओं को केन्द्रीय सुविधाओं के साथ चरणबद्ध तरीके से संबद्ध करने के साथ-साथ राज्यों की खुद की आईटी संरचना में और सुधार करने हेतु त्वरित गंभीर प्रयासों की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए अपने संसाधनों के प्रयोग करने में अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल होना वांछनीय है। विभिन्न अन्य नीति साधनों के अतिरिक्त, भारत को ऐसी कराधान नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जो इसकी आर्थिक कुशलता में अधिकतम वृद्धि करे और संसाधनों के कुशल आवंटन, विशेषज्ञता, पूंजी निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विकृतियों और बाधाओं को कम करे। भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए, अन्य दूसरी बातों के अपरिवर्तित रहते हुए, वस्तुओं और सेवाओं हेतु एक व्यापक जीएसटी के क्रियान्वयन की आशा है। जीएसटी सुधार से जीडीपी में होने वाला अतिरिक्त लाभ भविष्य के वर्षों के दौरान जीडीपी में अन्यथा होने वाले विकास के अतिरिक्त होगा। इससे इस प्रकार समग्र मूल्य स्तर को कम रखते हुए उत्पादन के कारकों का भी कुशल आवंटन होगा। संक्षेप में, भारत में एक व्यापक जीएसटी लागू करने से उत्पादन के कारकों का कुशल आवंटन होने की संभावना है और इससे जीडीपी तथा निर्यातों में वृद्धि होगी। इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी और उत्पादन के कारकों अर्थात् भूमि, श्रम और पूंजी में भी वृद्धि होगी।

"सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक अभिकल्पित लक्ष्य आधारित जीएसटी बाधाओं को दूर करने और उपभोग पर कर लगाने का सबसे उपयुक्त तरीका है। इस संरचना के अंतर्गत, उत्पादन और वितरण के विभिन्न चरणों की व्याख्या मात्र करके आगे बढ़ाने के रूप में की जा सकती है और कराधान अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर अनिवार्य रूप से अंतिम उपभोग पर लगता है। (केलकर, 2009)

संदर्भ:

- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकारप्राप्त समिति, फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया, नवम्बर, 2009
- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग इंट्रोडक्शन (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स), http://www.dor.gov.in/Gstintro

- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीएसटी रिफार्म्स एंड इंटरगवर्नमेन्टल कंसिडरेशन्स इन इंडिया, कार्य पत्र सं. 1/2009
- भारत सरकार, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद्, मूविंग टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया: इम्पैक्ट ऑन इंडियाज ग्रोथ एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दिसम्बर, 2009
- भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस विज्ञप्ति, 21 मई, 2012
- भारत की संसद, लोक सभा, विभागों से संबद्ध वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति, संविधान (एक सौ पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, 2011 संबंधी 73वां प्रतिवेदन, अगस्त, 2013
- आर. कविता राव, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फॉर इंडिया (राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान, नवम्बर, 2008)
- सुधीर हलखंडी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स-ऐन इन्ट्रोडक्टरी स्टडी (दि चार्टर्ड एकाउंटेंट, अप्रैल, 2007)
- शंखनाथ बंद्योपाध्याय, अ प्राइमर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया (सेन्टर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी, 2011)
- शंखनाथ बंद्योपाध्याय, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स: चैलेंजेज एंड अपार्चुनिटी (सेन्टर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबिलिटी, 2011)
- सैयद मो. अली तक़वी, अमित कुमार श्रीवास्तव और रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव, चैलेंजेज एंड अपार्चुनिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) इन इंडिया (भारतीय अनुप्रयुक्त अनुसंधान जर्नल, खंड 3/अंक 5, मई, 2013)

लोक सभा सचिवालय के अपर सचिव, श्री पी.के. मिश्रा और निदेशक, श्री सी.एन. सत्यनाथन की देख-रेख में डॉ. बी.सी. जोशी, अपर निदेशक और श्रीमती पूजा सिंह, शोध अधिकारी द्वारा संसद सदस्यों के उपयोग और सूचना हेतु तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिंदी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा के निदेशक, श्री नवीन चन्द्र खुल्बे, अपर निदेशक, श्री धनी राम और संयुक्त निदेशक, श्री डी.आर. मेहता के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया।